

छुट्टी यात्रा रियायत के लिए प्रमाण पत्र
Certificate for L.T.C.

1. मैं ने खण्ड वर्ष व में स्वयं व अपने परिवार के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का अन्य कोई दावा नहीं किया है। I have not submitted any other claim so far for Leave Travel Concession in respect of myself or my family members in respect of the block of two years and
2. मैं ने अपने बच्चे व पत्नी सहित की गई यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के अंतर्गत यात्रा भत्ता पूर्व में ही लिया है। यह दावा मैंने पत्नी व बच्चों सहित जो यात्रा की है उसको पूर्व में पूर्ण रूप से अथवा हिस्सों में पहले किसी दल के साथ नहीं की है। I have already drawn T.A. for the Leave Travel Concession in respect of journey performed by me/my wife with Children. This claim is in respect of the journey performed by my wife/myself with Children none of whom travelled with the party on the part on the earlier occasion.
3. मैं ने अपनी पत्नी व बच्चों सहित 'गृह नगर' तक की यात्रा की है। That journey has been performed by me/my wife with Children to the declared 'Home Town' viz.
4. यह कि मेरे पति/पत्नी परिषद् की नौकरी में नहीं हैं या मेरे पति/पत्नी परिषद् में कार्यरत हैं, ने खुद व अन्य पारिवारिक सदस्यों ने इस खण्ड वर्ष में अलग से रियायत नहीं ली है। That my husband/wife is not employed in Council Service or that my husband/wife is employed in Council Service, and the concession has not been availed of him/her separately for himself/herself or for any of the family members for the concerned block of two years.
5. मैं ने त्वरित मेल से यात्रा की है। I travelled by Express Mail.
6. मैं ने सड़क द्वारा यात्रा मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की बस से की है। I travelled by road portion by bus in a recognised public transport system.

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of the Applicant

नियंत्रण अधिकारी भी छुट्टी यात्रा रियायत के बिल में निम्न प्रमाण पत्र उद्धृत करें।

The Controlling Officer will also record the following certificates on the L.T.C bills :

1. श्री/श्रीमति/कु..... (परिषद् कर्मचारी का नाम) ने आगे की यात्रा शुरू होने के पूर्व एतत् एक वर्ष की सेवा प्रदान कर दी है। That Shri/Shrimati/Kumari (Name of the Council Servant).....has rendered continuous service for one year of more on the date of commencing the outward journey.
2. गृह मंत्रालय का.ज्ञा.सं. 43/1/55-स्था. (अ) भाग 2, दिनांक 11 अक्टूबर, 1956 के पैरा 3 के अनुपालन में श्री/श्रीमति/कु..... (अराजपत्रित अधिकारियों के लिए ही) की सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टियाँ कर दी है। That necessary entries as required under para 3 of the Ministry of Home Affairs O.M.No.43/1/55-Ests (A) Part II, dated the 11th October, 1956 have been made in the service book of Shri/Smt/Kumari.....(for Non-Gazetted Officers only).

निदेशक/Director